संख्या-13015/3/2001-स्थापना(छुट्टी)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक जून 15, 2001

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः- राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को परिवर्तित छुट्टी/डॉक्टरी प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी की स्वीकृति के बारे में पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफ़ारिश ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 24.08.2000 के कार्यालय-ज्ञापन के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवर्तित छुट्टी की स्वीकृति हेतु अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार-स्वास्थ्य-योजना के किसी औषधालय के किसी चिकित्सक/किसी प्राधिकृत चिकित्सक (ए.एम.ए.) से डॉक्टरी प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करने में हो रही कठिनाइयों पर विचार किए जाने के बारे में कर्मचारी-पक्ष का अनुरोध उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन जारी किए जाने की तारीख़ से ही विचाराधीन रहा है । उपर्युक्त मसले पर पुनर्विचार कर लिए जाने पर, उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि किसी दुर्घटना, दिल के दौरे, गर्भस्राव आदि जैसे आपातिक चिकित्सा-सहायता की अपेक्षा वाले मामलों में किसी अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार-स्वास्थ्य-योजना के किसी औषधालय के किसी चिकित्सक/किसी प्राधिकृत चिकित्सक से डॉक्टरी/स्वस्थता-प्रमाण-पत्र लेने में होने वाली कठिनाई के मद्देनज़र, छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी, मामले विशेष से जुड़ीं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् किसी पंजीकृत चिकित्सक (आर.एम.पी.) द्वारा जारी डॉक्टरी/स्वस्थता-प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं ।

2. ये आदेश, इस कार्यालय-ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख़ से प्रभावी होंगे । केन्द्रीय सिविल-सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में औपचारिक संशोधन बाद में किए जाएँगे ।

3. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा-विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।

हरिन्द्र सिंह

(हरिन्द्र सिंह)

भारत-सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।